**संख्या-04/2018/4109/दो-2-2017-28/2(12)/2017**

प्रेषक,

उदय भानु त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

**नियुक्ति अनुभाग-2** **लखनऊ: दिनांक: 04 जनवरी, 2018**

विषय:- श्री प्रभात कुमार शर्मा, पी0सी0एस0-1992 के पेंशन, राशिकरण, उपादान प्रपत्रों का प्रेषण।

महोदय,

श्री प्रभात कुमार शर्मा, पी0सी0एस0, जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक 31-12-2017 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, से प्राप्त पेंशन, राशिकरण प्रपत्रों की दो प्रतियाँ संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री प्रभात कुमार शर्मा के पक्ष में कोई देयता अवशेष नहीं है। अत: इनका पेंशन, राशिकरण, उपादान प्राधिकार पत्र निर्गत करते हुए उसकी सूचना शासन को यथासमय उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

**संलग्नक:-यथोक्त् ।**

**भवदीय,**

**(उदय भानु त्रिपाठी)**
**विशेष सचिव।**

**संख्या एवं दिनांक यथोक्त।**

प्रतिलिपि श्री प्रभात कुमार शर्मा, से0नि0 पी0सी0एस0 पता-ए'14, जज कम्पाउण्ड, निकट बजीरपुरा, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

**आज्ञा से,**

**(धनन्जय शुक्ल)**
**संयुक्त सचिव।**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

**उत्तर प्रदेश शासन**
**नियुक्ति अनुभाग-2**
**संख्या-04/2018/3211 /दो-2-2017-28/2(12)/2017**
**लखनऊ: दिनांक: 04 जनवरी, 2018**

## कार्यालय-ज्ञाप

श्री प्रभात कुमार शर्मा, पी0सी0एस0, जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक 31-12-2017 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को वित्त सामान्य अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-393/दस-99-2000-88 दिनांक 01-07-99 में निहित प्रतिबन्धों के अधीन सेवानिवृत्ति की तिथि तक देय अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति, जो 300 दिन से अधिक न हो, प्रदान की जाती है।

**उदय भानु त्रिपाठी**
**विशेष सचिव।**

**संख्या एवं दिनांक यथोक्त।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- संयुक्त सचिव, इरला चेक (वेतन पर्ची अनुभाग),उत्तर प्रदेश शासन।
2- श्री प्रभात कुमार शर्मा, से0नि0 पी0सी0एस0 पता-ए'14, जज कम्पाउण्ड, निकट बजीरपुरा, आगरा।

**आज्ञा से,**

**(धनन्जय शुक्ल)**
**संयुक्त सचिव।**

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**उत्तर प्रदेश शासन**
**नियुक्ति अनुभाग-2**
**संख्या-04/2018/3210/दो-2-2017-28/2(12)/2017**
**लखनऊ: दिनांक: 04 जनवरी, 2018**

**संयुक्त सचिव,**
**इरला चेक (वेतन पची प्रकोष्ठ),**
**उ0प्र0 शासन।**

श्री प्रभात कुमार शर्मा, पी0सी0एस0, जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक 31-12-2017 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, से प्राप्त जी0आई0एस0 प्रपत्रों की तीन प्रतियाँ मूलरूप में संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अग्रेतर कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही से नियुक्ति अनुभाग-2 को अवगत कराने का कष्ट करें।

**संलग्नक:-यथोक्त।**

**(उदय भानु त्रिपाठी)**
**विशेष सचिव।**

**संख्या एवं दिनांक यथोक्त।**

प्रतिलिपि श्री प्रभात कुमार शर्मा, से0नि0 पी0सी0एस0 पता-ए'14, जज कम्पाउण्ड, निकट बजीरपुरा, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

**आज्ञा से,**

**(धनन्जय शुक्ल)**
**संयुक्त सचिव।**

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**उत्तर प्रदेश शासन**
**नियुक्ति अनुभाग-2**
**संख्या-04/2018/4566/दो-2-2017-28/2(12)/2017**
**लखनऊ: दिनांक: 04 जनवरी, 2018**

**आदेश**

श्री प्रभात कुमार शर्मा, पी0सी0एस0-1992 ने अपने भविष्य निधि खाता संख्या-जी0ए0यू0-71550 में कुल जमा धनराशि के 90 प्रतिशत के भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- श्री प्रभात कुमार शर्मा, पी0सी0एस0 के जी0पी0एफ0 खाते में महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-निधि-20/मिलान डायरी-279/76609 दिनांक 01-11-2017 के अनुसार वर्ष 2016-2017 तक कुल जमा धनराशि रू0-28,55,758/- (रू0-अटठाईस लाख पचपन हजार सात सौ अटठावन मात्र) की 90 प्रतिशत धनराशि रू0-25,70,182;20/- अर्थात रू0-25,70,182.00(रूपये पच्चीस लाख सत्तर हजार एक सौ बयासी मात्र), के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-ए0जी057/दस-84-510/84, दिनांक 26-12-84 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4-ए0जी058/दस-84-510/84 दिनांक 12-01-90 के अधीन स्वीकृत किए जा रहे है।

4- प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की जा रही जी0पी0एफ0 की धनराशि श्री प्रभात कुमार श्रीवास्तव के जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

**उदय भानु त्रिपाठी**
**विशेष सचिव।**

**<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- मण्डलायुक्त, आगरा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया श्री प्रभात कुमार शर्मा, पी0सी0एस0-1992, तत्कालीन अपर आयुक्त (प्रशासन), आगरा मण्डल, आगरा सम्प्रति सेवानिवृत्त के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कराने का कष्ट करें।

3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, आगरा।

4- श्री प्रभात कुमार शर्मा, से0नि0 पी0सी0एस0 पता-ए'14, जज कम्पाउण्ड, निकट बजीरपुरा, आगरा ।

**आज्ञा से,**

**(धनन्जय शुक्ल)**
**संयुक्त सचिव।**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in